अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority

सं. 85, पोर्ट ब्लेयर, मंगलवार, 12 मई, 2015
No. 85, Port Blair, Tuesday, May 12, 2015

सचिवालय

आदेश

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 12 मई, 2015

(जिला परिषद के लिए सीटों का निर्धारण और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण)

फा.सं. 3–1/2015/पी आर/जी.— अण्डमान तथा निकोबार (पंचायत) विनियम, 1994 (1994 की सं. 1) की धारा 145 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस प्रशासन के दिनांक 19 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. 76 और दिनांक 23 जून, 2010 के आदेश सं. 3–1/2009/पी आर/जी पी का अधिक्रमण करते हुए मैं, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवा निवृत्त) अजय कुमार सिंह, उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. 69–2007 फा.सं. 4–118(1)/2006 – पी. आर. के अनुसार 18 सीट दक्षिण अण्डमान जिला परिषद और 17 सीट मध्योत्तर अण्डमान जिला परिषद में निर्धारित करता हूँ :–

क. दक्षिण अण्डमान जिला परिषद

क्रम. सं.	खण्ड/पंचायत समिति का नाम	जिला परिषद के लिए सीटों की संख्या
1.	पोर्ट ब्लेयर	04
2.	फरारगंज	10
3.	लिटिल अण्डमान	02
4.	कैम्पबेल बे	02
	कुल	**18**

ख. मध्योत्तर अण्डमान जिला परिषद

क्रम. सं.	खण्ड/पंचायत समिति का नाम	जिला परिषद के लिए सीटों की संख्या
5.	डिगलीपुर	07
6.	मायाबंदर	03
7.	रंगत	07
	कुल	**17**

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 11 की उप–धारा (5), (6), (7) और (8) के साथ पठित इसी की धारा 145 की उप–धारा (4) के तहत् अपेक्षित अनुसार आगे आदेश दिया जाता है कि :

(क) अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं रखी जाएगी क्योंकि उनकी जनसंख्या, एक सीट को भरने के लिए अपेक्षित जनसंख्या समानुपात जनसंख्या के आधे से भी कम है;

(ख) जिला परिषद, दक्षिण अण्डमान जिला के 18 सीटों में से 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी ; और

(ग) जिला परिषद, मध्योत्तर अण्डमान जिला के 17 सीटों में से 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी।

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अजय कुमार सिंह,
उप राज्यपाल,
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./–
सहायक सचिव (पंचायत)

MGPPB—85/Gazette/2015— 35 Copies. (RG-HCL-XII)

अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 85, पोर्ट ब्लेयर, मंगलवार, 12 मई, 2015

No. 85, Port Blair, Tuesday, May 12, 2015

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION

सचिवालय/**SECRETARIAT**

ORDER

(DETERMINING SEATS FOR ZILLA PARISHAD AND RESERVING SEATS FOR WOMEN)

Port Blair, dated the 12th May, 2015

F.No. 3-1/2015/PRG.— In exercise of the powers conferred under Section 145 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994 (No. 1 of 1994) and in supersession of this Administration's Notification No. 76, dated 19th March, 2007 and Order No. 3-1/2009/PR/GP, dated 23rd June, 2010, I, Lieutenant General (Retd.) Ajay Kumar Singh, Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands, hereby determine that there shall be 18 seats in South Andaman Zilla Parishad and 17 seats in North and Middle Andaman Zilla Parishad constituted vide Notification No. 69/2007/F.No. 4-118(1)/2006-PR dated 19th March, 2007 as detailed below :

A. South Andaman Zilla Parishad

S. No.	Name of the Block / Panchayat Samiti	Number of Seats for Zilla Parishad
1.	Port Blair	04
2.	Ferrargunj	10
3.	Little Andaman	02
4.	Campbell Bay	02
	TOTAL	**18**

B. North & Middle Andaman Zilla Parishad

S. No.	Name of the Block / Panchayat Samiti	Number of Seats for Zilla Parishad
5.	Diglipur	07
6.	Mayabunder	03
7.	Rangat	07
	TOTAL	**17**

As required under Sub-Section (4) of Section 145 read with Sub-Section (5), (6), (7) and (8) of Section 11 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994, it is further ordered that :

(a) No seat shall be reserved for Scheduled Tribes and the Women belonging to Scheduled Tribes, as their population is less than half the proportionate population required to fill one seat;

(b) 6 seats out of 18 seats of Zilla Parishad, South Andaman District, shall be reserved for Women; and

(c) 6 seats out of 17 seats of Zilla Parishad, North & Middle Andaman District, shall be reserved for Women.

Lt. General (Retd.) Ajay Kumar Singh
Lieutenant Governor,
Andaman & Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lieutenant Governor,

Sd./-
Assistant Secretary (Panchayat)

MGPPB—85/Gazette/2015—35 Copies. (ES-HCL-X)